1.7.19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा बहस अन्तर्गत RTA 212 समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रश्नगत आराजी में से दर्ज जमीन में से अप्रार्थी सं. 1 ने चक नं. 1 KSD खाता सं. 114/90 में प. नं. 169/112 मु. नं. 32 कि. नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20 कुल 1.519 है. व खाता सं. 88/78 में 0.632 है तथा अप्रार्थी सं. 2 ने खाता सं 88/78 में से 0.127 है भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11/10/15 ~~खरीद की~~ प्रार्थिया को बेचान कर दी है। उक्त भूमि पर रहन फक नहीं होने के कारण द्वारा बैयनामें का इंतकाल नहीं हो पाया। इसलिए यह आराजी आज भी अप्रार्थी 1 व 2 के नाम दर्ज है। जिसे अप्रार्थीगण किसी अन्य को बेच करने पर आमादा है। अतः यदि अप्रार्थीगण इसमें कामयाब हो गये तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी अतः अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब बहस में कथन किए कि अप्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति अच्छी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अप्रार्थी नहीं है। अप्रार्थी 1 समय पर पैसा जमा करवाना चाहता है। परन्तु पैसे के अभाव में पैसा जमा नहीं करवा पा रहा। प्रार्थिया, अप्रार्थी नं. 1 की पुत्रवधु है। वह चाहे तो सारा पैसा जमा करवा कर जमीन अपने नाम करवा ले। अप्रार्थी नं. 1 ने अपने खेत में ट्यूबवैल हेतु विद्युत कनेक्शन लेना चाहता है एवं इसे रोकने हेतु स्थगन आदेश की आड़ ले रहा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय - प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विचारण किया गया। रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11/10/15 से एवं अप्रार्थीगण द्वारा अभिस्वीकृति से उक्तगत आराजी प्रार्थिया द्वारा खरीद की जानी जाहिर है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यह रहा कि अप्रार्थीगण इस आराजी को रहन, बैय या अन्तरित नहीं करना चाहते हैं। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। केवल स्थगन की आड़ में विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहा इसलिए वे इसे खारिज करवाना चाहते हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.7.17 तात्कालिक द्वारा कन्फर्म की जाती है। साथ ही निर्देश दिए जाते हैं कि यह निषेधाज्ञा विद्युत विभाग के नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिए जाने पर कोई निषेध नहीं करती है। तात्कालिक द्वारा उक्तगत आराजी का रहन बैय एवं अंतरण का निषेध करती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.20 12:14:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: